

128

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक 15/1/2026
संख्या-1/स्था01-01/20261/...../श्री सनियाल कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, अररिया को उनके प्रथम संतान की देखभाल हेतु दिनांक 16.01.2026 से 30.01.2026 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं 248 के तहत प्रदान की जाती है।

2. श्री सनियाल कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, अररिया के अवकाश वेतन की निकासी विपत्र कोड संख्या- 082205000010001 के अंतर्गत होगा।

ह0/-

(स्मिता कुमारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 67 /

पटना, दिनांक 15/1/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 67 /

पटना, दिनांक 15/1/2026

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 67 /

पटना, दिनांक 15/1/2026

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक/अवर सचिव -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखाशाखा/आई0टी0 प्रबंधक, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/श्री सनियाल कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।